

## भारत में अपराध पर NCRB रपिर्ट 2022

### प्रलिस के लयल:

[राषट्रीय अपराध रकॉर्ड बयुरो](#), [संज्जेय अपराध](#), [राजदरोह](#), [दुरघटनावश मृतयु और आतमहतयारुँ](#)

### मेनुस के लयल:

भारत में अपराध की स्थतलतल और संबंधतल मुदुदे, वभलनलन प्रकर के अपराधुँ को संबोधतल करने में कानुनी ढाँचे की प्रभावशीलता

[सुरोत: डाउन टू अरथ](#)

### चरुा में क्युँ?

[राषट्रीय अपराध रकॉर्ड बयुरो \(NCRB\)](#) ने हाल ही में "2022 के दुरलन भारत में अपराध (Crime in India for 2022)" शीरुषक से अपनी वारुषकी रपिर्ट जारी की है, जो देश भर में अपराध के रुझानुँ का एक वयुापक अवलोकन प्रदान करती है ।

### भारत में अपराध पर NCRB रपिर्ट 2022 की मुख्य वशेषतारुँ क्युा हुरुँ?

- **समग्र अपराध आँकडे:**
  - कुल 58,00,000 से अधकल [संज्जेय अपराध](#) दरुज कयल गए, जनलमें [भारतीय दंड संहतल \(IPC\)](#) तथा [वशेष और स्थानीय कानून \(SLL\)](#) के तहत यानी दुनुँ प्रकर के अपराध शामिल थे ।
    - वरुष 2021 की तुलना में मामलुँ के पंजीकरण में 4.5% की गरलवट देखी गई ।
- **अपराध दर में गरलवट:**
  - प्रतललाख जनसंख्युा पर अपराध दर वरुष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई ।
    - कुल अपराध संख्युा पर जनसंख्युा वृदुध के प्रभाव को देखते हुए इस गरलवट को अधकल वशलवसनीय संकेतक माना जाता है ।
- **सबसे सुरकषतल शहर:**
  - महानगरुँ में प्रतललाख जनसंख्युा पर सबसे कम संज्जेय अपराध दरुज करते हुए कोलकाता लगातार तीसरे वरुष भारत का सबसे सुरकषतल शहर बनकर उभरा है ।
    - पुणे (महाराषट्र) और हैदराबाद (तेलंगाना) ने क्रमशः दुसरा एवं तीसरा स्थान हासलल कयल ।
- **साइबर अपराधुँ में वृदुध:**
  - साइबर अपराध रपिर्टगल में वरुष 2021 के 52,974 मामलुँ में 24.4% की एक महतुत्वपूर्ण वृदुध के साथ कुल 65,893 मामले दरुज हुए हुरुँ ।
  - पंजीकृत मामलुँ में अधकलंश साइबर [धुखाधुड़ी](#) के मामले (64.8%) शामिल हुरुँ, इसके बाद ज़बरन वसुली (5.5%) और [युन शोषण](#) (5.2%) के मामले आते हुरुँ ।
    - इस शुरेणी के तहत अपराध दर वरुष 2021 के 3.9 से बढ़कर वरुष 2022 में 4.8 हो गई ।
- **आतमहतयारुँ और कारण:**
  - 2022 में भारत में [आतमहतयारुँ](#) में उल्लेखनीय वृदुध देखी गई, कुल 1.7 लाख से अधकल मामले 2021 की तुलना में 4.2% की चतलजनक वृदुध को दरुशाते हुरुँ ।
  - आतमहतयुा दर में भी 3.3% की वृदुध हुई, जसकी गणना प्रतललाख जनसंख्युा पर आतमहतयारुँ की संख्युा के रूप में की जाती है ।
    - प्रमुख कारणुँ में 'पारवलरकल समस्यारुँ,' 'ववलह संबंधी समस्यारुँ,' दवललथलपन और ःणगरसुतता, 'बेरोज़गारी एवं पेशेवर मुदुदे' तथा बीमारी' शामिल हुरुँ ।
  - आतमहतयुा के सबसे अधकल मामले महाराषट्र में दरुज कयल गए , इसके बाद तमललनाडु, मधुय प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का स्थान है ।
  - आतमहतयुा के कुल मामलुँ में दैनकल वेतन भुगयलुँ की हसलसेदारी 26.4% थी ।
    - कृषल शुरमकल और कसलन भी असमान रूप से प्रभावतल हुए, जो आतमहतयुा के आँकडुँ का एक बड़ा हसलसा है ।
    - इसके बाद बेरोज़गार वयकतयलुँ का स्थान है, जो वरुष 2022 में भारत में दरुज आतमहतयुा के सभल मामलुँ में से 9.2% थे । वरुष में

दर्ज कुल आत्महत्या के मामलों में **12,000 से अधिक छात्र** शामिल थे।

■ **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़ते अपराध:**

- भारत में अपराध रपिपोर्ट में **अनुसूचित जाति (एससी)** और **अनुसूचित जनजाति (एसटी)** व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों एवं अत्याचारों में समग्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
  - राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्ष 2022 में ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई।
  - मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख योगदानकर्त्ताओं के रूप में बने हुए हैं, जो एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ अपराध एवं अत्याचार की सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष पाँच राज्यों में लगातार प्रमुख स्थान पर हैं।
  - ऐसे अपराधों के उच्च स्तर वाले अन्य राज्यों में **बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पंजाब** शामिल हैं।

■ **महिलाओं के वरिद्ध अपराध:**

- वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक हैं।
- प्रमुख श्रेणियों में **'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा करूरता,' 'महिलाओं का अपहरण'** और **'महिलाओं की गरमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उन पर हमला'** जैसे मामले शामिल हैं।

■ **बच्चों के वरिद्ध अपराध:**

- बच्चों के वरिद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि देखी गई।
  - इनमें से अधिकांश मामले **अपहरण** (45.7%) से संबंधित थे और 39.7% मामले यौन **अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम** के तहत दर्ज किये गए थे।

■ **वरिद्ध नागरिकों के वरिद्ध अपराध:**

- वर्ष 2021 में वरिद्ध नागरिकों के वरिद्ध अपराध के 26,110 मामले थे जिनमें 9.3% की बढ़ोतरी के साथ ये 28,545 हो गए।
  - इनमें से अधिकांश मामले (27.3%) चोट/घात के बाद **चोरी** (13.8%) तथा **जालसाज़ी, छल और धोखाधड़ी** (11.2%) से संबंधित हैं।

■ **जानवरों द्वारा किये गए हमलों में वृद्धि:**

- NCRB रपिपोर्ट में **जानवरों के हमलों के कारण मरने वाले अथवा घायल होने वाले लोगों की संख्या** में चिंताजनक प्रवृत्तिका पता चलता है।
  - वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं में **19% की उल्लेखनीय वृद्धि** दर्ज की गई।
  - **महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए**, इसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में वभिन्न संख्या में संबंधित मामले दर्ज किये गए।
  - इसके आतिरिक्त **जानवरों/सरीसृपों तथा कीटों के काटने के मामलों में भी 16.7% की वृद्धि हुई।**
    - उक्त के काटने के सबसे अधिक मामले राजस्थान में, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में दर्ज किये गए।

■ **पर्यावरण संबंधी अपराध:**

- भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में लगभग **18% की कमी** आई है।
  - पर्यावरण संबंधी अपराधों में सात अधिनियमों के तहत उल्लंघन शामिल हैं:
    - वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) अधिनियम, 1974, ध्वनि प्रदूषण (वनिधिमन और नयित्रण) अधिनियम, 2000, राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम, 2010
  - वायु (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण नविवरण और नयित्रण) अधिनियम, 1974 के उल्लंघन के लिये दर्ज मामलों में लगभग **42% की वृद्धि हुई है।**
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत उल्लंघनों में भी लगभग **31% की वृद्धि हुई है।**
  - **आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वन संबंधी अपराधों की संख्या बढ़ी है।**
  - **बिहार, पंजाब, मजोरम, राजस्थान और उत्तराखंड सहित पाँच राज्यों में वन्यजीव संबंधी अपराध बढ़े हैं।**
    - देश में वन्यजीव अपराध के मामलों की अधिकतम संख्या (30%) **वालाराजस्थान में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में ऐसे अपराधों में 50% की वृद्धि दर्ज की गई।**

■ **राज्य के वरिद्ध अपराध:**

- वगित वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में राज्य के वरिद्ध हुए अपराधों में सामान्य वृद्धि देखी गई।
  - इस अवधि के दौरान **वधिवरिद्ध करिया-कलाप नविवरण अधिनियम (UAPA)** के तहत दर्ज मामलों में लगभग 25% की वृद्धि हुई।
  - इसके वपिरीत **IPC** की **राजद्रोह धारा** के तहत मामलों में उल्लेखनीय गरिवट देखी गई।
    - राजद्रोह के मामलों में कमी का श्रेय मई 2022 में राजद्रोह के मामलों को प्रास्थगन/स्थगति रखने के **सर्वोच्च न्यायालय** के नरिणय को दया जा सकता है।

■ **आर्थिक अपराधों में वृद्धि:**

- आर्थिक अपराधों को आपराधिक वशिवासघात, जालसाज़ी, छल तथा धोखाधड़ी (Forgery, Cheating, Fraud- FCF) तथा कूटकरण (Counterfeiting) में वर्गीकृत कया गया है।
  - **FCF के अधिकांश मामले** (1,70,901 मामले) देखे गए, इसके बाद आपराधिक वशिवासघात (21,814 मामले) तथा कूटकरण (670 मामले) के अपराध थे।
  - कराइम इन इंडिया रपिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2022 में कुल 342 करोड़ रुपए से अधिक **केजाली भारतीय मुद्रा नोट (Fake Indian Currency Notes- FICN)** ज़ब्त कये।

■ **वदिशयों के वरिद्ध अपराध:**

- वदिशयों के खिलाफ 192 मामले दर्ज कये गए जो वर्ष 2021 के **150 मामलों से 28% अधिक है।**

- 56.8% पीड़ित एशियाई महाद्वीप से थे, जबकि 18% अफ्रीकी देशों से थे।
- **उच्चतम आरोपपत्र दर:**
  - IPC अपराधों के तहत उच्चतम आरोपपत्र दर वाले राज्य केरल, पुद्दुचेरी और पश्चिम बंगाल हैं।
  - आरोप पत्र दायर करने की दर उन मामलों को दर्शाती है जहाँ पुलिस कूल सही मामलों (जहाँ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था लेकिन अंतिम रिपोर्ट को सही के रूप में प्रस्तुत किया गया था) में से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के चरण तक पहुँच गई थी।

## राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है?

- **NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में** इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।
- यह **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985)** की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- यह **गृह मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।**
- यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के **फगिरप्रति रिकॉर्ड करने के लिये "नेशनल वेयरहाउस"** के रूप में भी कार्य करता है, और फगिरप्रति खोज के माध्यम से अंतर-राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है।
- NCRB के चार प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS), अपराध सांख्यिकी, फगिरप्रति और प्रशिक्षण।
- **NCRB के प्रकाशन:**
  - **क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट**
  - **आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या**
  - **जेल सांख्यिकी**
  - **भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट**
  - ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिये बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्त्ताओं, मीडिया तथा नीति निर्माताओं हेतु अपराध आँकड़ों पर प्रमुख संदर्भ बटु के रूप में काम करते हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/ncrb-s-crime-in-india-2022-report>

